

अध्याय - I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी एवं ए जी) का यह प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के लेन-देनों के अनुपालन लेखा परीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है।

अनुपालन लेखा परीक्षा, सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान, लागू विधि, नियमों-विनियमों के प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, का उल्लेख करता है। अनुपालन लेखा परीक्षा में अपनी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा इच्छित लक्ष्यों को पाने के संदर्भ में प्रभाव हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की जांच भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को संसद के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग कि अहमियत का स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और आकार के अनुरूप होगा। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से आशा की जाती है कि वह कार्यकारिणी को सुधार कार्यों को लागू करने के साथ-साथ ऐसी नीतियों और निर्देशों को बनाने में सक्षम हो जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन सुधरे, इस प्रकार अच्छे शासन में योगदान दें।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण, स्वायत्त निकायों के लेखों में महत्वपूर्ण कमियां, बकाया विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपकरणों के प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति, उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति, न वसूल होने वाली देयताएं, जिन्हें अपलिखित/माफ किया गया हो और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की एक रूपरेखा है। अध्याय II से VIII तक वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन शोध केन्द्रों, संस्थाओं एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्षों/टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है। विभिन्न वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संस्थानों में परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रणों इत्यादि की वर्तमान प्रणाली में निहित कमियों को भी इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

1.2 कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग का संगठनात्मक ढाँचा



वैज्ञानिक लेखापरीक्षा कार्यालयों की स्थिति

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली की स्थापना अप्रैल 1986 में अलग कार्यालय के रूप में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यशील संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा हेतु की गई। देश के भीतर पर्यावरण रक्षा एवं संरक्षण के मुद्दों पर बेहतर ध्यान तथा पर्यावरण संबंधी मामलों की लेखापरीक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के बीच बेहतर व्यापक झुकाव को देखते हुए, सी एवं ए जी ने पर्यावरण लेखापरीक्षा हेतु कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग को नोडल कार्यालय के रूप में नामित किया।

इसकी तीन शाखाएँ मुंबई, कोलकाता तथा बंगलोर एवं एक उप-कार्यालय चेन्नई में स्थित है, जो केंद्र सरकार के वैज्ञानिक तथा पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा करने में कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग की सहायता करते हैं।

1.3 अंकेक्षित संस्थाओं की रूपरेखा

मार्च 2012 तक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग 14 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत इकाइयों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी था। भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के कार्य के पुनर्गठन के बाद, इस कार्यालय के लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र 1 अप्रैल 2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित किया गया। पुनरीक्षित लेखापरीक्षा के क्षेत्र का विस्तार भारत के नौ वैज्ञानिक तथा पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तक है, जो नीचे दिये गए हैं:-

- परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई)
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस)
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ)
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)
- अंतरिक्ष विभाग (डीओएस)

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसमें शामिल हैं :
 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)
 - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर)
 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी)
- जल संसाधन मंत्रालय (एमओडबल्यूआर)

यह प्रतिवेदन सिर्फ उपर्युक्त वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों तथा उनके स्वायत्त निकायों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

इन मंत्रालयों/विभागों की एक संक्षिप्त रूपरेखा **परिशिष्ट I** में दी गई है।

वर्ष 2011-12 के दौरान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों में वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

तालिका I – वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय का विवरण


क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	2009-10	2010-11	2011-12
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	10,777.70	10,057.23	17,516.61
2.	अंतरिक्ष विभाग	4,162.96	4,482.23	3,790.79
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2,697.31	2,982.68	3,214.70
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2,045.10	2,280.76	2,521.47
5.	जैवप्रौद्योगिकी विभाग	906.56	1,144.87	1,208.43
6.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2,021.71	2,608.92	2,270.00
7.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	563.40	994.81	1,365.22
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,080.54	1,098.08	1,174.60
9.	जल संसाधन मंत्रालय	969.24	992.79	1,066.03
कुल		25,224.52	26,642.37	34,127.85
प्रतिशत बढ़त/घटत		21.13¹	5.62	28.10

स्रोत: संबंधित वर्ष का विनियोग लेखा

2011-12 के दौरान भारत सरकार के ऊपर दिए गए मंत्रालयों/विभागों पर कुल व्यय ₹ 34,127.85 करोड़ था। इसमें से 51 प्रतिशत व्यय अकेले परमाणु ऊर्जा विभाग ने किया उसके बाद अंतरिक्ष विभाग (11 प्रतिशत) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (9 प्रतिशत) आते हैं।

¹ 2008-09 में किये गए ₹ 20,824.63 करोड़ के व्यय के आधार पर की गई गणना

चार्ट 1- वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया व्यय



जब 2008-09 के मुकाबले 2009-10 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय में समग्र रूप से 21 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि थी, 2009-10 के मुकाबले 2010-11 के दौरान 6 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि थी। हालांकि अगले वर्ष 2011-12 के दौरान, कुल व्यय में 28 प्रतिशत तक की एक अतिशय वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण परमाणु ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के व्यय में क्रमशः 74 प्रतिशत एवं 37 प्रतिशत की यकायक वृद्धि था।

1.4 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सी एवं ए जी को लेखापरीक्षा करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। सी एवं ए जी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी एवं ए जी (डी. पी. सी.) अधिनियम² की धारा 13³ के अंतर्गत करता है। सी एवं ए जी वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत दस स्वायत्त निकायों जिनकी लेखापरीक्षा सी एवं ए जी (डी. पी. सी.) अधिनियम की धारा 19(2)⁴ एवं 20(1)⁵

² नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971।

³ (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन और (iii) सभी व्यापार, विनिर्मान, लाभ एवं हानि लेखा, तुलना पत्र एवं अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा करना।

⁴ संबंधित विधि के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत स्थापित निगमों (जो कंपनी नहीं हैं) के लेखाओं की लेखापरीक्षा करना।

⁵ राष्ट्रपति की प्रार्थना पर ऐसे किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा उन शर्तों पर करना जिसकी सहमति सरकार तथा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के बीच हुई हो।

के अंतर्गत की जाती है, के संबंध में एकमात्र लेखापरीक्षक है। इसके अतिरिक्त, सी एवं ए जी (डी. पी. सी.) अधिनियम की धारा 14⁶ एवं 15⁷ के अंतर्गत ऐसे स्वायत्त निकायों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी करता है, जो भारत सरकार द्वारा काफी वित्त पोषित किए जाते हैं और जिनकी प्रारंभिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और विधि तंत्र सी एवं ए जी द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 में नियत है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सी एवं ए जी द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में शामिल सिद्धान्तों एवं प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया का समग्र रूप में तथा मंत्रालय/विभाग/संगठन और प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, कार्रवाइयों की महत्व/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा हित धारकों की चिंताओं पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ती के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु पुनः कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिन्हें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

2011-12 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 556 इकाइयों में से 215 का अनुपालन लेखापरीक्षा पूरा करने के लिए 3,566 लेखापरीक्षा दल-दिवस को उपयोग किया गया। हमारी लेखापरीक्षा योजना ने उन इकाइयों/संस्थाओं, जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार, प्रमुख जोखिम वाले थे, को शामिल किया।

⁶(i) भारत की संचित निधि से अनुदान प्राप्त या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियां एवं व्यय, तथा (ii) भारत की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में किसी निकाय/प्राधिकरण को जारी किए गए 1 करोड़ से अधिक राशि के कर्ज अथवा सहायता राशि के लेखों की प्राप्ति एवं खर्च की लेखापरीक्षा करना।

⁷ भारत की समेकित निधि से किसी विशेष उद्देश्य से किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय को दिये गये अनुदान या ऋण की लेखापरीक्षा, उन प्रक्रियाओं की जांच हेतु, जिनके द्वारा दिये गये अनुदान या ऋण की शर्तों को पूरा होने का स्वीकृति अधिकारी अपने आप को संतुष्ट करती है।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

विगत कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने समीक्षात्मक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जो कि वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यों की प्रभावकारिता पर असर डालती है। इन मंत्रालयों/विभागों की पिछले पाँच वर्षों के दौरान हुई लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष **परिशिष्ट II** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियाँ उजागर की गई हैं, जो कि वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के कार्यों की प्रभावकारिता पर असर डालती है। सुधार कार्यों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्न शामिल हैं :

- अक्षम परियोजना प्रबंधन;
- खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियाँ;
- आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ पहुंचाना; तथा
- कमजोर आंतरिक नियंत्रण

1.6.1 अक्षम परियोजना प्रबंधन

सबसे महत्वपूर्ण कमियों में से एक है, जिसे लेखापरीक्षा बताती आ रही है, वैज्ञानिक संगठनों के द्वारा परियोजना प्रस्तावों में स्वयं निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होना। यह मुद्दा विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि परियोजनाएं अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ शुद्ध दोनों क्षेत्रों में आपूर्तियोग्य लक्ष्य के साथ ली जाती हैं। जबकि हम इस तथ्य को मानते हैं कि वैज्ञानिक प्रयास की सफलता का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, बताई गई कमियाँ ज्यादातर कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण हैं, जो इन संगठनों के नियंत्रण के भीतर हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन उन मुद्दों और समस्याओं की चर्चा करती है, जो अक्षम परियोजना प्रबंधन के कारण कुछ वैज्ञानिक संस्थानों के समक्ष उनके परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समय आयीं, जिसका परिणाम उल्लेखित उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति/अधूरी प्राप्ति के रूप में हुआ। ये हैं (i) इसरो का एडुसैट उपयोगिता कार्यक्रम (पैरा 3.1), (ii) सेंटर फॉर जीनोमिक एप्लिकेशन की स्थापना के लिए डीएसआईआर के अंतर्गत जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान का सार्वजनिक निजी भागीदारी (पैरा 4.1) एवं (iii) डीएसआईआर के अंतर्गत केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (पैरा 4.2)। यह प्रतिवेदन, जल आपूर्ती एवं नदी परिवहन के लिए गंगा नदी पर बने फरक्का बैराज के अपर्याप्त जाँच एवं रखरखाव, जिसके कारण बैराज के महत्वपूर्ण क्रिया संचालन संरचनाओं की सुरक्षा को जोखिम में डाला गया है, को भी उजागर करता है (पैरा 7.1)।

1.6.2 खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालय/विभाग अपने बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सामग्री, उपकरण एवं सेवाओं की खरीद पर करते हैं। इनमें से कुछ विभाग जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों/ विभागों कि तुलना में बढ़े हुए वित्तीय अधिकारों का प्रयोग सामग्री एवं उपकरण खरीद पर करते हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में परमाणु ईंधन परिसर और परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत साहा परमाणु भौतिकी संस्थान (पैरा 2.1 एवं 2.2) अंतरिक्ष विभाग के अधीन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (पैरा 3.2 एवं पैरा 3.3), में खरीद और अनुबंध प्रबंधन प्रणाली में कमजोरियों के उदाहरण दिये गए हैं।

1.6.3 आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को पहुंचाया गया वित्तीय लाभ

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अधीन स्वायत्त निकायों में से अधिकांश बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान से वित्त पोषित हैं। आंतरिक राजस्व उत्पन्न करने के उनके प्रयासों का वांछित परिणाम नहीं निकला है और कई मामलों में, सरकारी धन पर उनकी निर्भरता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है। वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर ऐसी निर्भरता के बावजूद अपने कर्मचारियों को काफी अधिक लाभ देने के इन संस्थाओं के मामले बढ़ रहे हैं। इस प्रकार, केंद्रीय खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालते हुए, ये लाभ वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना, अनुचित रूप से दिये जाते हैं।

वर्तमान रिपोर्ट में डीएसटी के तहत जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (पैरा 5.2) एमओईएफ के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पैरा 6.1) तथा एमआईएस के तहत नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेस (पैरा 8.1) द्वारा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ के अनुदान की लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी शामिल है।

स्वायत्त संस्थानों द्वारा अधिक लाभ के अनुदान के इस तरह के उदाहरणों की संबंधित मंत्रालयों द्वारा समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि सरकार की मंजूरी के बिना सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाए।

1.6.4 कमजोर आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण उन साधनों को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं जिसके द्वारा संगठन के संसाधन जुटाए और मितव्ययता एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाते हैं। सरकारी संगठनों को कठोर आंतरिक नियंत्रण के उपायों को लागू करने और खर्च में वित्तीय विवेक को इस्तेमाल करने की जरूरत यह सुनिश्चित करने के लिए है कि

सार्वजनिक धन नियमों एवं विनियमों के अनुसार खर्च किए जा रहे हैं और नुकसान तथा बर्बादी न्यूनतम है।

वर्तमान रिपोर्ट में सेंटर फॉर जीनोमिक एप्लिकेशन की स्थापना के लिए डीएसआईआर के अंतर्गत जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान की सार्वजनिक निजी भागीदारी (पैरा 4.1) तथा विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (पैरा 5.1) की व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन तथा अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के कारण किए गए परिहार्य और अतिरिक्त खर्च के मामलों को प्रकाशित किया गया है।

1.7 बजट और व्यय नियंत्रण

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2011-12 के लिए विनियोग खातों का सारांश नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

तालिका 2 – वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान और किए गए व्यय का विवरण

क्रं. सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनि-योग (अनुपूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-) बचत/ अतिरिक्त	अव्ययित प्रावधान का प्रतिशत
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	18,812.64	17,516.61	- 1,296.03	6.89
2.	अंतरिक्ष विभाग	6,626.06	3,790.79	- 2,835.27	42.79
3.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3,385.02	3,214.70	-170.32	5.03
4.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,742.71	2,521.47	-221.24	8.07
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1,426.96	1,208.43	-218.53	15.31
6.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,784.17	2,270.00	-514.17	18.47
7.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1,380.19	1,365.22	-14.97	1.08
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,569.16	1,174.60	-394.56	25.14
9.	जल संसाधन मंत्रालय	1,249.36	1,066.03	-183.33	14.67
	कुल	39,976.27	34,127.85	- 5,848.42	14.63


स्रोत: वर्ष 2011-12 के लिए मंत्रालयों/विभागों का विनियोग लेखा

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाता है कि ₹ 39,976.27 करोड़ के कुल बजट आवंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक और पर्यावरण विभागों के पास ₹ 5,848.42 करोड़ का अव्ययित शेष था जो कुल अनुदान/विनियोग का 15 प्रतिशत है। इन मंत्रालयों/विभागों को जारी किए गए धन के संदर्भ में अंतरिक्ष विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन

मंत्रालय तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पास क्रमशः ₹ 2,835.27 करोड़ (43 प्रतिशत), ₹ 394.56 करोड़ (25 प्रतिशत), ₹ 514.17 करोड़ (18 प्रतिशत) तथा ₹ 218.53 करोड़ (15 प्रतिशत) का महत्वपूर्ण बचत था।

जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के कुल बचत राशि में से डीओएस द्वारा की गई बचत का अनुपात उच्चतम था, उसके बाद क्रमशः परमाणु ऊर्जा विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय था:

चार्ट 2—मंत्रालय /विभाग वार कुल शेष का प्रतिशत शेष



वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों में बजट और व्यय नियंत्रण चिंता का विषय बना हुआ है जिसके लिए नियंत्रण और निरीक्षण प्रणालियों को ध्यान देने और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। 2013 के सी एवं ए जी की प्रतिवेदन संख्या 1 के अध्याय 3 एवं 4 में इन क्षेत्रों में से कुछ का उल्लेख है जिसे नीचे संक्षेप में पुनः दिया गया है

रुपए 100 करोड़ या ज्यादा की बचत राशि

एक अनुदान या विनियोजन में बचत राशि दोषयुक्त बजट निर्माण के साथ-साथ निष्पादन में कमी की ओर इंगित करते हैं। इसके अलावा, ₹ 100 करोड़ से अधिक के बचत पर लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी की आवश्यकता होती है। डीआई, डीओएस एवं एमओईएस में पूंजी तथा राजस्व शीर्ष दोनों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत देखी गई। एमओईएफ डीएसटी, डीबीटी एवं एमओडबल्यूआर में राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी। अव्ययित प्रावधान ₹ 166.20 करोड़ (जल संसाधन मंत्रालय) से ₹ 2834.57 करोड़ (डी ओ एस) के बीच रहा।

पूंजी शीर्ष के तहत डी ए ई और डी ओ एस में लगातार बचत देखी गई। डी ए ई में बचत में 4 प्रतिशत (2009-10) से 17 प्रतिशत (2010-11) तथा 24 प्रतिशत (2011-12)

की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी। डी ओ एस में बचत 37 प्रतिशत (2009–10) से लेकर 28 प्रतिशत (2010–11) तथा 65 प्रतिशत (2011–12) तक रहा।

अवास्तविक बजट

वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों में बजट का अवास्तविक होना देखा गया। अनुपूरक अनुदान और पुनः विनियोजन के बाद प्राप्त अनुदानों के भीतर भारी अव्ययित प्रावधान थे जिसका उपयोग नहीं किया गया जो खराब बजट निर्माण की ओर संकेत करता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से कुछ निम्न प्रकार हैं :

- एमओईएफ ने ₹ 42 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान की मांग की, जो ₹ 80.68 करोड़ के कुल प्रावधान का 52 प्रतिशत था।
- दो मामलों में, डी ए ई और एमओईएस ने क्रमशः ₹ 19.99 करोड़ एवं ₹ 13.0 करोड़ का पुनः विनियोजन किया, जो विवेकहीन था क्योंकि इन विनियोजित निधियों का कभी उपयोग नहीं किया गया।
- डी ए ई, डीएसटी और डीओएस के 14 मामलों में उप-शीर्षों के अंतर्गत पूरा बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
- डी ए ई और डी ओ एस के 11 मामलों में, अकेले उप शीर्षों के तहत अव्ययित प्रावधान ₹ 100 करोड़ से अधिक था।
- डी ए ई, डी ओ एस और एम ओ ई एस के तहत 10 मामलों में, उप-शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान का 48 से 97 प्रतिशत अव्ययित प्रावधान था।

बचत राशि सौंपना

एम ओ ई एफ और डीएसटी ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अपनी बचत राशि का बड़ा हिस्सा अभ्यर्पित किया। डीएसटी ने 31 मार्च 2012 को अपने कुल बचत राशि का 90.4 प्रतिशत अभ्यर्पित कर दिया। यह देखा गया कि डी ए ई के अनुदान सं. 5-न्यूक्लियर पावर स्किम्स के अंतर्गत अनुदान के तहत बचत राशि (₹ 40.25 करोड़) से ज्यादा राशि (₹ 40.81 करोड़) अभ्यर्पित किया गया।

व्यय का आधिक्य

मार्च 2012 के महीने के दौरान डी ए ई और डी बी टी द्वारा किए गए व्यय की मात्रा क्रमशः 17 एवं 18 प्रतिशत थी, जो 15 प्रतिशत की निर्धारित मात्रा से अधिक था। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान एमएनआरई द्वारा किए गए व्यय बजट प्राक्कलन का 42 प्रतिशत की सीमा तक था जो 33 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक था।

बजट प्रावधान के बिना किए गया व्यय

डी ओ एस ने एक नई सेवा पर ₹ 54.22 लाख का व्यय किया जिसके लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं था। अप्रैल 2012 में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, डी ओ एस ने पुनर्नियोजन आदेश में संशोधन किया और इस व्यय को दो अन्य शीर्षों पर स्थानांतरित कर दिया।

प्रावधान बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

वित्त मंत्रालय ने (मई 2012) में स्पष्टीकरण जारी किया कि वस्तु शीर्षों 'ग्रांट-इन-ऐड', 'सब्सिडीज 'मशीनरी एंड ईक्विपमेंट' तथा 'न्यू सर्विस/न्यू इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सर्विस' के अंतर्गत 'मेजर वर्क्स' निधि की वृद्धि के मामलों और ₹ 2.5 करोड़ से अधिक या वस्तु शीर्ष 'मेजर वर्क्स' एवं 'मशीनरी एंड ईक्विपमेंट' के तहत 10 प्रतिशत से अधिक राशि की वृद्धि से संबंधित मामलों में संसद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित मामलों में संसद के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना वृद्धि की गई:

- तीन⁸ मंत्रालयों/विभागों के 129 मामलों में, वस्तु शीर्ष 'मेजर वर्क्स' एवं 'मशीनरी एंड ईक्विपमेंट' के अंतर्गत कुल ₹ 244.85 करोड़ के निधि की वृद्धि की गई।
- सात⁹ मंत्रालयों/विभागों के नौ मामलों में विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को ग्रांट-इन-ऐड के अंतर्गत ₹ 20.64 करोड़ का व्यय प्रावधान बढ़ाकर किया गया।
- एमएनआरई ने वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के तहत ₹ 15.70 करोड़ की सीमा तक प्रावधान की वृद्धि की।

व्यय का गलत वर्गीकरण

- चार¹⁰ मंत्रालयों/विभागों द्वारा ₹ 823.37 करोड़ तक के पूंजी व्यय का गलत वर्गीकरण किया गया और उसे राजस्व व्यय के तहत दर्ज किया गया।
- तीन¹¹ मंत्रालयों/विभागों द्वारा ₹ 53.30 करोड़ तक के राजस्व व्यय को पूंजी व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया।
- डीएई ने ग्रांट्स-इन-ऐड के प्रति व्यय किए गए ₹ 8.54 करोड़ की राशि को गलत तरीके से वस्तु शीर्षों "अदर चार्ज" एवं "स्कॉलरशिप्स/स्टाइपेंड्स" के तहत दर्ज किया।

⁸ डी ए ई, डी ओ एस, एम ओ ई एफ

⁹ डी ए ई, एम ओ ई एस, एम ओ ई एफ, डी एस टी, डी बी टी, डी ओ एस तथा एम ओ डबल्यू आर

¹⁰ डी ए ई, एम ओ ई एस, डी ओ एस और एम ओ डबल्यू आर

¹¹ डी ए ई, एम ओ ई एस और एम ओ डबल्यू आर

पूर्व प्राधिकृति के बिना किया गया व्यय

डी ए ई ने आवश्यक पूर्व प्राधिकृति के बिना, उपलब्ध प्रावधान से अधिक ₹ 192.76 करोड़ (जून 2011 से फरवरी 2012) का व्यय किया। पुनर्नियोजन आदेश केवल 31 मार्च 2012 को जारी किया गया।

ग्रंट्स-इन-ऐड वेतन के विस्तृत शीर्ष का गैर-संचालन

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी नई वस्तु शीर्ष ग्रंट्स-इन-ऐड सेलरीज शुरू करने की अधिसूचना (जून 2011) जारी की, जिसमें वेतन भुगतान के लिए ग्रंट्स-इन-ऐड के रूप में जारी की गई राशि शामिल होगी। डी ओ एस ने नए शीर्ष का संचालन नहीं किया बल्कि ₹ 127.66 करोड़ की राशि को ग्रंट्स-इन-ऐड-जेनरल के अंतर्गत दर्ज किया।

अधूरा स्वीकृति आदेश जारी करना

यद्यपि डी ओ एस के अनुदानों की विस्तृत मांगों को योजना और गैर योजना खर्च के लिए अलग-अलग रूप से राजस्व और पूंजी खातों पर वस्तु शीर्ष स्तर तक पूर्ण खाता वर्गीकरण के साथ तैयार किया गया, फिर भी जारी किया गया स्वीकृति आदेश में साफ तौर पर राजस्व और पूंजी खातों तथा राजस्व और पूंजी खातों के तहत योजना और गैर-योजना अलग-अलग से डेबिट करने के लिए व्यय की राशि का उल्लेख नहीं किया था। इस प्रकार, डी ओ एस द्वारा जारी स्वीकृति आदेश अधूरे थे, क्योंकि वे व्यय के उचित बुकिंग और वर्गीकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं देते थे।

निधि की पर्याप्त प्रावधान किए बिना व्यय

यह देखा गया कि डी ओ एस के 14 मामलों में वास्तविक व्यय पुनर्नियोजन आदेशों के जारी करने से पहले उपलब्ध प्रावधान से अधिक हो गया, जो नियमों का उल्लंघन था। अत्यधिक व्यय ₹ 40.55 करोड़ तक की सीमा तक हुआ।

1.8 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग दस स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है, जिनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सी & ए जी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत तैयार की जाती है। इन स्वायत्त निकायों को 2011-12 के दौरान जारी किए गए कुल अनुदान ₹ 3394.48 करोड़ थे, जैसा कि विस्तार से नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

तालिका 3 केंद्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदानों का विवरण

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	मंत्रालय/विभाग	2011-12 के दौरान जारी की गई अनुदान की राशि
1.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डीएसआईआर	3,135.91
2.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुअनंतपुरम	डीएसटी	91.00
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डीएसटी	Nil
4.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एमओईएफ	14.71
5.	भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून	एमओईएफ	18.70
6.	केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एमओईएफ	17.35
7.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एमओईएफ	9.37
8.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एमओईएफ	24.09
9.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	एमओडबल्यूआर	34.35
10.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एमओडबल्यूआर	49.00
कुल			3,394.48

स्रोत : स्वायत्त निकायों की 2011-12 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड का लेखापरीक्षा 2012-13 में प्रदान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सी एवं ए जी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत 64 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक/अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी की जाती है। 57¹² स्वायत्त निकायों को 2011-12 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 3,301.75 करोड़ था, जिसका विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है।

1.9 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी है, जो इंगित करता है कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था, उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया गया और जहां अनुदान सशर्त थे, वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई। छह¹³ मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल ₹ 1091.72 करोड़ के अनुदान के लिए 8865 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) जो कि मार्च 2012 तक देय थे प्राप्त नहीं हुए थे जिन्हें परिशिष्ट IV में दिया गया है।

¹² सत डी ओ एस स्वायत्त निकायों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई

¹³ डी ए ई, डी ओ एस, एम ओ ई एफ, एम एन आर ई, एम ओ ई एस तथा एम ओ डब्ल्यू आर

छः मंत्रालयों/विभागों के संबंध में प्रतीक्षित 8,865 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 409.36 करोड़ की राशि के 7,565 प्रमाण-पत्र दो वर्ष से अधिक से लंबित थे। ₹ 288.18 करोड़ कुल 6,232 यूसी पाँच सालो से बकाया थे।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मंत्रालय/विभागवार स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है:

(₹ करोड़ में)

तालिका 4- उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के बकाया की स्थिति					
क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	दो वर्षों से ज्यादा लंबित यू.सी.		पाँच वर्षों से ज्यादा लंबित यू.सी.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	189	10.78	56	1.92
2.	अंतरिक्ष विभाग	162	12.58	105	9.04
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	उपलब्ध नहीं			
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	उपलब्ध नहीं			
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	उपलब्ध नहीं			
6.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	6,168	302.16	5,354	240.30
7.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	33	6.41	1	0.03
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	879	61.13	699	36.08
9.	जल संसाधन मंत्रालय	134	16.30	17	0.81

1.10 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे और प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा भारत के सी एवं ए जी की सलाह से तैयार किए गए हों।

मार्च 2012 तक वाणिज्यिक या अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के दो विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे, जो इस कार्यालय की लेखापरीक्षा के नियंत्रणाधीन थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रोफॉर्मा लेखे जिसमें ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि लेखे और तुलना पत्र शामिल हो, वार्षिक रूप से बनाए जाते हैं। विभागीय तौर पर प्रतिबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति उनके लेखों के आधार पर **परिशिष्ट v** में दी गई है। परमाणु ईंधन भवन-समूह तथा भारी जल बोर्ड दोनों ने अनंतिम आंकड़े दिये थे।

1.11 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

आठ¹⁴ मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत 2011-12 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल हो सकने वाली देयताओं को इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट VI में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि 2011 के दौरान ₹ 8.46 लाख के 32 मामलों की राशियों को अन्य कारणों के लिए, ₹ 2 लाख के दो मामले 'अनुग्रहपूर्वक भुगतान' से संबंधित थे तथा ₹ 24.78 लाख का एक मामला वसूली की माफी के कारण अपलिखित किया गया।

1.12 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सी एवं ए जी के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रत्युत्तर 6 सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में निर्गमित किए गए थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए प्रेषित किया जाता है और उनसे निवेदन किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर 6 सप्ताह के भीतर भेजें। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे पैराग्राफों को सी एवं ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, सम्मिलित किए जाने की संभावना है, मामले में उनकी टिप्पणियाँ सम्मिलित करना वांछनीय होगा।


इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को नवंबर 2009 और जून 2012 के बीच उनको वैयक्तिक रूप से संबोधित करके पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय II से VIII में दर्शाये गए 12 पैराग्राफों में से 4 के उत्तर नहीं भेजे। आठ पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

¹⁴ डी ए ई, डी ओ एस, डी एस आई आर, डी एस टी, डी बी टी, एम ओ ई एफ, एम एन आर ई तथा एम ओ डब्ल्यू आर

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तनी कार्रवाई

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (11वीं लोक सभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित अनुवर्तनी कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी एवं ए जी के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा से पाया गया कि दिसम्बर 2012 तक दो मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों से कुल 4 ए.टी.एन. लंबित थे, जो कि पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि प्रस्तुत करने में 1 वर्ष से 5 वर्षों की देरी को दर्शाते हैं। वर्णन (परिशिष्ट VII) में है।



छह मंत्रालयों/विभागों से 27 पैरा से संबंधित पुनरीक्षित ए.टी.एन. छह महीने से अधिक से लंबित थे। (परिशिष्ट VII ए)।